रामचन्द्रन

बनाम

आर. उदयकुमार व अन्य

(क्रिमीनल अपील नम्बर 871/2008)

मई 13, 2008

(डॉ. अरजीत प्रसायत और पी. सतशिवम जेजे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 और 482 :

आपराधिक प्रकरण का पुनः अनुसंधान - हत्या के अपराध से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त की ओर से धारा 482 के अंतर्गत पुनः अनुसंधान हेतु प्रकरण को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में प्रकरण स्थानान्तरित करने की प्रार्थना- उच्च न्यायालय ने मामले में नये सिरे से सी.बी/सी.आई.डी को पुनः अनुसंधान हेतु स्थानान्तरित करने का निर्देश दिया- आदेश की सटीकता का मूल्यांकन करते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश को गलत बताया है-पुनः अनुसंधान के लिए उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से समर्थन योग्य नहीं है-हालांकि नये अनुसंधान के बजाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के संदर्भ में सी.बी./ सी.आई.डी द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा सकता है, निर्देश जारी किए।

इस फौजदारी अपील के निर्धारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा सी.बी./सी.आई.डी को नये सिरे से आपराधिक प्रकरण के अनुसंधान का धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्देश प्रदान करना सही था।

अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए, वह निर्देश प्रदान नहीं

किया जा सकता था। धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से अनुसंधान अथवा पुनः अनुसंधान का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने यह निष्कर्ष प्रदान किया कि

1.1 धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि धारा 173(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात भी पुलिस के पास धारा 173(8) के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान करने का अधिकार है परन्तु नये सिरे से अनुसंधान अथवा पुनः अनुसंधान करने का अधिकार नहीं है (पैरा-6)(443-बी)

1.2 के.चन्द्रशेखर बनाम केरल राज्य व अन्य के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जो विधि की स्थिति निर्धारित की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जो पुनः अनुसंधान अथवा नये सिरे से अनुसंधान का जो निर्देश प्रदान किया गया, वह स्पष्ट रूप से समर्थन योग्य नहीं है इसलिए नये सिरे से अनुसंधान के स्थान पर धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान किया जा सकता है तथा वह अग्रिम अनुसंधान सी.बी(सी.आई.डी) द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया जा सकता है।

के.चन्द्रशेखर बनाम केरल राज्य व अन्य (1998) 5 एससीसी 223-पर भरोसा।

आपराधिक अपीलीय क्षैत्राधिकारः 2008 की आपराधिक अपील संख्या 871/2008

मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरई बेंच द्वारा सी.आर.एल आे.पी (एम.डी) नम्बर 9175/2006 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 18.12.2006

सिद्धार्थ दवे, विजय ठाकुर एवं सेंथिल जगदीशन, अपीलार्थी की ओर से के. रामामूर्ति, वी.जी प्रगासम, एस.जे एरिस्टोटल, प्रभू रामासुब्ह्मण्यम, ए.मारियापुरत्तम,

बी.के. प्रसाद, पी. परमेश्वरन, बी.बालाजी, के.माथु गणेशा पांडियन एवं सत्यमित्र गर्ग प्रत्यर्थीगण की ओर से

डॉ. अरजीत पासयत, न्यायमूर्ति के द्वारा न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की आेर से धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका पर पारित आदेश को चुनौती प्रदान की गई थी। उक्त याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 2 तमिलनाडु राज्य जिसका प्रतिनिधित्व गृह सचिव द्वारा किया जा रहा था को अपराध संख्या 39/2004 की फाईल में पुलिस निरीक्षक पलायनुर व पुलिस थाने शिवगंगाई जिले से वापिस लेकर क्रेन्दीय अन्वेषण ब्यूरों को सुपुर्द किए जाने का निवेदन किया गया था। वे दोनों वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा याचिका प्रस्तुत कर सी.बी.आई द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध आरोपित हत्या के प्रकरण का पुनः अनुसंधान हेतु निर्देश प्रदान करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में कुल 59 गवाहान है। उच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश के साथ याचिका का निस्तारण किया गया :-

> "उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी संख्या 4 की अपराध याचिका 39/2004 की फाईल को आरक्षी निरीक्षक सी.बी.सी.आई.डी मदुरई को अंतरित की जाती है, जो प्रकरण में किसी कुशल और सक्षम निरीक्षक को प्रकरण में पुनः अनुसंधान हेतु सुपुर्द करेंगे,जिस पुलिस निरीक्षक को आरक्षी उपाधीक्षक सी.बी.सी.आई.डी द्वारा नामित किया जाता है, वह प्रकरण का नये सिरे से अनुसंधान करेंगे तथा

इस न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त करने की दिनांक से तीन माह के अंदर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रत्यर्थी संख्या 4 अपराध याचिका संख्या 39/2004 के केस रिकॉर्ड को आरक्षी उपाधीक्षक सी.बी.सी.आई.डी मदुरई द्वारा नामित अधिकारी को हस्तांतरित करेंगे। याचिकाकर्ता को तदानुसार आदेश दिया जाता है। नतीजन संबंधित विविध याचिकाएं निरस्त की जाती है।"

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रकरण की पृष्ठभूमि के तथ्य निम्न प्रकार से है:-

प्रत्यर्थी संख्या 1 व अन्य के विरूद्ध 16.07.2004 को अपराध प्रकरण धारा 147, 148, 324, 305 व 307 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत आरोपित अपराध कारित करने के संबंध में दर्ज किया गया था। दिनांक 04.08.2004 को क्रिमीनल ओ.पी नम्बर 444/2004 अपीलार्थी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण के अनुसंधान को किसी अन्य अनुसंधान अधिकारी को अंतरित करने की प्रार्थना की गई थी। 24.03.2005 को चार्जशीट नम्बर 18/2005 पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं अन्य 8 अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 148, 302, 307 एवं 324 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में प्रस्तुत की गई। 25.04.2005 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर अपील जिला पुलिस अधीक्षक, शिवगंगाई के द्वारा जी.ओ नम्बर 14/एडीएसपी/क्राइम/शिवगंगाई/2005 के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा यह निष्कर्ष प्रदान किया गया कि धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकरण में वास्तविक दोषियों का पता लगाने हेतु अग्रिम अनुसंधान आवश्यक है। चूंकि चार्जशीट प्रस्तुत करने के बावजूद प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसिए अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस निरीक्षक को 9 में से 7 अभियुक्तगण एवं प्रत्यर्थी

संख्या 1 के विरूद्ध भी जारी किए गए गैर जमानती वारण्ट की तामील करने का निर्देश प्रदान करने का उच्च न्यायालय से निवेदन किया तथा पुलिस निरीक्षक द्वारा अभियुक्त के साथ मिलीभगत करने का कथन किया है। उच्च न्यायालय द्वारा शिवगंगाई पुलिस अधीक्षक को मफरूर अभियुक्तगण को गिरफ`तार करने का आदेश दिया गया। 27.03.2006 को धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र क्रिमीनल एम.पी नम्बर 2227/2006 पुलिस निरीक्षक, पलायनुर पुलिस थाने द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट मानामदुरई के समक्ष प्रस्तुत किए तथा प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किए जाने की अनुमति चाही गयी, जो प्रदान की गई। 03.04.2006 को अनुसंधान करने वाले निरीक्षक ने अभियोजन उप निदेशक को पत्र लिखकर यह राय मांगी कि क्या प्रकरण को सी.बी.सी.आई.डी को अंतरित किया जाना आवश्यक है। 10.04.2006 को डिप्टी लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण में सी.बी.सी.आई.डी को अंतरित करने की राय दी गयी। 20.11.2006 को क्रिमीनल आे.पी नम्बर 9175/2006 में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण में सी.बी.आई द्वारा पुनः अनुसंधान का निर्देश प्रदान करने का निवेदन किया गया। 18.12.2006 को उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पुलिस उप अधीक्षक को सी.बी.सी.आई.डी द्वारा नामित पुलिस इन्सपेक्टर को प्रकरण में नये सिरे से अनुसंधान करने तत्पश्चात अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश प्रदान किया गया। 05.07.2007 को क्रिमीनल एम.पी नम्बर 1/2007 पुलिस इंसपेक्टर, क्राईम ब्रांच, सीआईडी, जिला शिवगंगाई, मदुरई की ओर से उपरोक्त क्रिमीनल ओ.पी में मद्रास उच्च न्यायालय मदुरई पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण करने एवं अंतिम रिपोर्ट पेश करने हेतु छः माह का समय प्रदान करने का निवेदन किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2006 को पारित आदेश प्रकरण में आक्षेपित आदेश है।

4. अपीलार्थी का यह तर्क है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया

संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो निर्देश प्रदान किए गए, वह नहीं प्रदान की जा सकती एवं धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार नये सिरे से अनुसंधान अथवा पुनः अनुसंधान नहीं किया जा सकता।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया है।

6. प्रकरण के इस स्तर पर धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता का अवलोकन करना आवश्यक है। उपरोक्त धारा के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 173(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश प्रदान करने के पश्चात भी प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान धारा 173(8) के अंतर्गत किए जाने का अधिकार पुलिस को प्राप्त होता है परन्तु नये सिरे से अनुसंधान अथवा पुनः अनुसंधान नहीं किया जा सकता। के.चन्द्रशेखर बनाम केरल राज्य व अन्य (1998(5)एससीसी 223) में इस पर प्रकाश डाला गया। अन्य तथ्यों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार समीक्षा की थी :-

> "24.अग्रिम (फर्दर) शब्द का शाब्दिक अर्थ शब्दकोश के अनुसार अतिरिक्त, अधिक व पूरक होते है। अग्रिम अनुसंधान पूर्व में किए गए अनुसंधान की निरन्तरता में किया जाता है। वहीं नये सिर से अनुसंधान अथवा पुनः अनुसंधान पूर्व में किए गए अनुसंधान को समाप्त करके प्रारम्भ से पुनः आरम्भ की जाती है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमने धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता से भी प्रेरणा प्राप्त की है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि अग्रिम अनुसंधान समाप्त होने के बाद अनुसंधान एजेन्सी को मजिस्ट्रेट के समक्ष अग्रिम रिपोर्ट पेश करना होता है नवीन रिपोर्ट पेश नहीं करना होता है। केवल जो अग्रिम साक्ष्य उस अनुसंधान के दौरान

एकत्रित की गई है केवल उसकी रिपोर्ट ही प्रस्तुत करनी होती है"

7. अतः विधि की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पुनः अनुसंधान अथवा नवीन अनुसंधान के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से समर्थन योग्य नहीं है, इसलिए नये सिरे से अनुसंधान करने अथवा नवीन अनुसंधान करने को स्थान पर धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार यदि आवश्यक हो तो अग्रिम अनुसंधान प्रकरण में किए जाने का निर्देश प्रदान किया जाता है, जो कि उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में सी.बी.सी.आई.डी द्वारा किया जा सकता है।

8. अपील इस हद तक स्वीकार की जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।